सं0 सं0 :– निग/सारा(पथ)–01–वि0का0–05–225/2016................

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

रॉंची, दिनांक :–........................

श्री रामाशीष राम तत्कालीन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, चाईबासा अतिरिक्त प्रभार, प्रभारी कार्यपालक अभियंता, चाईबासा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक–837/जि0ग्रा0, दिनांक–08.04.2016 के द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप प्राप्त है।

श्री राम के विरूद्ध आरोप :–

श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्र में निम्न आरोप लगाये गये है :–

(1) दिनांक–06.01.11 से 15.01.2014 तक प्रभारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के रूप में वे पदस्थापित थे। मो0–5,79,48,472/–(पाँच करोड़ उनासी लाख अड़तालिस हजार चार सौ बहत्तर) रू0 का अग्रिम पूर्ववर्ती अभियंताओं द्वारा विभिन्न विभागीय अभियंताओं को योजना के क्रियान्वयन हेतु दिया गया था। इस अग्रिम के विरूद्ध कार्य को पुरा करा कर अग्रिम समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही अग्रिम राशि की वसूली हेतु कोई सार्थक प्रयास किया गया।

(2) कार्यपालक अभियंता, आर0ई0ओ0, चक्रधरपुर के पत्रांक–644, दिनांक–10.10.2009 एवं पत्रांक–633, दिनांक–30.10.2009 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री लेवा मिंज, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा निम्न योजनाओं का विभागीय अभिकर्ताओं को दिये गये अग्रिम का बगैर कार्य किये ही समायोजन कर दिया गया था –

(i) गोईलकेरा प्रखण्ड अंतगर्त गोईलकेरा समीज पथ के तरईसोल के दलकी तक 2200 फीट पी0सी0सी0 पथ निर्माण भाग–2 का विपत्र राशि 4,08,155/–(चार लाख आठ हजार एक सौ पचपन) रूपये का सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 चाईबासा के रूप में सत्यापित दिनांक–12.12.2008 को किये हैं। कार्यपालक अभियंता, आर0ई0ओ0, चक्रधरपुर के पत्रांक–633, दि0–30.10.2009 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में योजना स्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री राम द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण किये बिना ही मापी पुस्तिका में सत्यापित किया गया है।

(ii) गोईलकेरा समीज पथ के तरईसोल के दलकी तक 6160 फीट पी0सी0सी0 पथ निर्माण भाग–4 का विपत्र राशि 20,26,386/– (बीस लाख छब्बीस हजार तीन सौ छियासी) रूपये का सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 चाईबासा के रूप में सत्यापित दिनांक–12.12.2008 को किये हैं। कार्यपालक अभियंता, आर0ई0ओ0, चक्रधरपुर के पत्रांक–633, दि0– 30.10.2009 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में योजना स्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री राम द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण किये बिना ही मापी विपत्र में सत्यापित किया गया है।

(iii) मनोहरपुर प्रखण्ड के अंतर्गत ढीपा पंचायत के ग्राम ढ़ीपा के पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से स्व0 राधे सुम्बुरूई के घर की ओर 2000 फीट पी0सी0सी0 पथ निर्माण का विपत्र राशि 10,08,734/–(दस लाख आठ हजार सात सौ चौंतीस) रूपये का सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 चाईबासा के रूप में सत्यापित दिनांक–21.10.2008 को किये हैं। कार्यपालक

प्रतिवेदन में योजना स्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री रा द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण किये बिना ही मापी विपत्र सत्यापित किया गया है।

(iv) मनोहरपुर प्रखण्ड के अंतर्गत डुतरिता **REO** पथ से भीम मरांडी के घर हाते हुंए पहाड़ के नीचे तक 2 कि0मी0 ग्रेड–1 पथ एवं 2 अदद् आर0सी0सी0 पुलिया का विपत्र राशि 4,08,760/–(चार लाख आठ हजार सात सौ साठ) रूपये का सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 चाईबासा के रूप में सत्यापित दिनांक–09.01.2009 को किये हैं। कार्यपालक अभियंता, आर0ई0ओ0, चक्रधरपुर के पत्रांक–633, दिनांक–30.10.2009 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन योजना स्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री राम द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण किये बिना ही मापी विपत्र सत्यापित किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए संकल्प सं0–5297(S), दिनांक–15.10.2019 द्वारा श्री राम के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–16 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है। श्री गौरी शंकर मिंज (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0), संचालन–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची के द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–355, दिनांक–09.07.2020 द्वारा समर्पित किया गया है। तत्पश्चात् श्री राम के दिनांक–28.02.2021 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश सं0–3404(S), दिनांक–02.11.2021 के द्वारा झारखण्ड पेंशन के नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया है।

<u>श्री राम का बचाव बयान</u> :–

श्री राम का कहना है कि वे दिनांक–06.01.2011 से 15.01.2014 तक प्रभारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, चाईबासा के पद पर पदस्थापित रहें हैं। उनके द्वारा आरोपों के संबंध में विभागीय कार्यवाही में निम्न बचाव बयान समर्पित किया गया है :–

<u>आरोप सं0–1</u> –

मनरेगा के अंतर्गत दिनांक–03.02.2009 से 30.06.2010 तक कुल 19,03,00,171/–(उन्नीस करोड़ तीन लाख एक सौ इकहत्तर रुपये) श्री विजय कुमार दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गयी अग्रिम राशि है। इसमें से समायोजित राशि 13,26,45,378/–(तेरह करोड़ छब्बीस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ अठहत्तर रुपये) है, जबकि असमायोजित राशि 5,76,54,593/–(पाँच करोड़ छिहत्तर लाख चौवन हजार पाँच सौ तिरानवे रुपये) है। श्री राम ने प्रभारी कार्यपालक अभियंता के रूप में दिनांक–06.01.2011 से 15.01.2014 तक अर्थात 3 वर्ष 10 दिन के अपने कार्यकाल में इस असमायोजित राशि के समायोजन हेतु निम्न प्रयास किए हैं :–

क) श्री राम द्वारा समय–समय पर ज्ञापनों के द्वारा कनीय अभियंताओं को अनिवार्य रूप से लेखा प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया है। इस क्रम में इनके द्वारा कुल 40,70,308/–(चालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ आठ रुपये) की वसूली की गई जो राशि न्यायालय/उप विकास आयुक्त कार्यालय में जमा की जा चुकी है। उक्त वसूली की राशि के अतिरिक्त करीब 30 से 35 लाख रुपये राजस्व (रायल्टी) भी उनके द्वारा सरकारी खाते में जमा करवाई गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा दी गयी अग्रिम के एवज में किए गए कार्य का उनके द्वारा करीब 15 से 17 करोड़ रुपये के डीसी बिल जमा किए गए हैं।

ख) कनीय अभियंताओं द्वारा दी गयी अग्रिम के संबंध में निरंतर सूचनाओं के बावजूद लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर श्री राम द्वारा उपायुक्त महोदय से आदेश प्राप्त कर आठ कनीय अभियंताओं के विरूद्ध यथा श्री विनय कुमार शर्मा, श्री जतरु टोप्पो, श्री पशुपति कुमार, श्री महेंद्र मंडल, श्री सत्य नारायण राम, श्री जयराम प्रसाद, श्री रमाकांत अकेला एवं श्री राजेंद्र प्रसाद–2 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। श्री राजेंद्र प्रसाद–1, श्री राजेंद्र प्रसाद–2 एवं

श्री साकेत ठाकुर तीन कनीय अभियंताओं के विरुद्ध पूर्व के कार्यपालक अभियंता, श्री लेवा मिंज द्वारा पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी थी और मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

आरोप सं0–2 –

(i) गोईलकेरा प्रखण्ड अंतर्गत गोईलकेरा समीज पथ के तराईसोल से दलकी तक 2200 फीट पी0सी0सी0 पथ निर्माण भाग–2 एवं 2160 फीट पी0सी0सी0 पथ निर्माण भाग–4, मनोहरपुर प्रखण्ड के अंतर्गत ढ़ीपा पंचायत के ग्राम ढ़ीपा में पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से स्व0 राधे सुम्बुरूई के घर तक 2000 फीट पीसीसी पथ, मनोहरपुर प्रखण्ड अंतर्गत डुमरिता आर0ई0ओ0 सड़क से भीम मराण्डी के घर होते हुए पहाड़ के नीचे तक दो कि0मी0 ग्रेड–I पथ एवं दो अदद आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण का कार्य हुआ है। इसकी पुष्टि निष्पक्ष जाँच से हो सकती है।

श्री राम का यह भी कहना है कि योजना की स्वीकृति आदेश के मार्ग दर्शिका के अनुसार द्वितीय/तृतीय अग्रिम की विमुक्ति के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्व अग्रिम का समायोजन, प्रगति प्रतिवेदन एवं योजना का फोटो एवं अन्य कागजात प्राप्त की जाय। उक्त योजनाओं में द्वितीय/तृतीय अग्रिम आवंटन प्राप्त हुए हैं इसलिए निश्चित ही कार्य हुआ है। योजना स्थलों की जाँच कार्यपालक अभियंता REO, चक्रधरपुर द्वारा उनके अनुपस्थिति में की गई है इसलिए निश्चित रूप से कार्यपालक अभियंता (जाँच दल) द्वारा स्थलों की पहचान में चूक हुई है, जिसकी निष्पक्ष जाँच से पुष्टि हो सकती है।

श्री राम का यह भी कहना है कि उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री राम द्वारा अपने कार्यकाल (दिनांक– 06.01.2011 से 15.01.2014 तक) में कुल 3,69,45,405/– (तीन करोड़ उनहत्तर लाख पैंतालीस हजार चार सौ पांच रूपये) का लेखा निष्पादित कर अग्रिम का समायोजन किया गया है, जिसमें पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई अग्रिम की राशि शामिल है।

उक्त के आलोक में श्री राम का कहना है कि मनरेगा योजनाओं के कार्यान्व्यन में गंभीर अनियमितताएं बरतने, योजनाओं की पुर्णता में अभिरूचि नहीं लेने, मनमाने तरीके से बगैर जाँच किए कनीय अभियंताओं द्वारा समर्पित मापी विपत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुचित तरीके से अग्रिम राशि का समायोजन कराने का आरोप निराधार है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :–

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान को स्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। संचालन पदाधिकारी का कहना है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये योजनाओं से संबंधित मापीपुस्त की छायाप्रति में कार्य मुल्यांकन की विवरणी दर्ज है एवं संबंधित कनीय अभियंता तथा सहायक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित है, इसके पश्चात कार्यपालक अभियंता द्वारा विपत्र पारित किया गया है इसलिए आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में योजनाओं को पुरा कराने में रूचि ली गई है। अग्रिम समायोजन हेतु संबंधित कनीय अभियंताओं को आदेश दिया गया है एवं आदेश की अवहेलना की स्थिति में 8 कनीय अभियंताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।

समीक्षा :–

आरोप सं0–1– आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती अभियंताओं द्वारा दिये गये अग्रिम के समायोजन हेतु दिये गये आदेश की अवहेलना करने की स्थिति में 8 कनीय अभियंताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। इनके द्वारा अपने पदस्थापन काल में विभिन्न

योजनाओं के तहत दिये गये अग्रिम के विरूद्ध कार्य करायी गई है। इसलिए संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए इनके विरूद्ध प्रथम आरोप को अप्रमाणित माना जाता है।

आरोप सं0–2 – आरोप के संबंध में आरोपी पदाधिकरी का दिया गया बयान संभावनाओं पर आधरित है। बयान के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य संलग्न नही किया गया है। द्वितीय/तृतीय अग्रिम की विमुक्ति के आधार पर योजनाओं में कार्य किया गया नहीं माना जा सकता है। ये योजनाएँ एन0आर0ई0पी0 के तहत स्वीकृत थी, जिसके शर्त के अनुसार योजना स्थल पर सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य था। इसलिए जाँच दल द्वारा योजना स्थलों की पहचान में चुक होने का प्रश्न नहीं उठता है। जाँच के क्रम में जाँच दल द्वारा योजनाओं में कार्य पूर्ण नहीं पाया गया है।

आरोप के विरूद्ध वर्ष 2018–19 में DRDA, चाईबासा से जाँच दल गठित कर जाँच कराई गई थी। जाँच प्रतिवेदन में योजना स्थल पर कार्य कराया गया है एवं M.B. के अनुसार राशि का भुगतान किया गया है। स्पष्ट है की योजनाओं के कार्य की जाँच वर्ष 2018–19 में कराई गयी है, इसलिए ये योजनाएँ बाद में पुरी की गई हैं।

उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए आरोप सं0–2 आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित माना गया। तद्नुसार आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत उनके पेंशन से पाँच वर्ष तक के लिए 20(बीस) प्रतिशत की राशि की कटौती का दण्ड प्रस्तावित करते हुए असहमति के बिन्दु एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर पत्रांक–3060(S), दिनांक–26.07.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है।

श्री राम का जवाब :–

श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब पृ0–344–296/प0 पर पत्र दिनांक–21.10.2024 द्वारा समर्पित किया गया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

i) श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान बचाव बयान में किया गया है।

ii) उनके द्वारा कहा गया है कि गोईलकेरा प्रखण्ड एवं मनोहरपुर प्रखण्ड अंतर्गत पथ निर्माण की एन0आर0ई0पी0 के तहत स्वीकृत योजनाओं में स्थल पर सूचना बोर्ड लगाया गया था। सूचना बोर्ड अस्थायी प्रकृति के होते हैं और सम्पन्न होते ही ग्रामीण इसे रहने नहीं देते। उक्त स्थलों की जाँच कार्यपालक अभियंता, आर0ई0ओ0 चक्रधरपुर द्वारा उनकी अनुपस्थिति में लंबी अवधि के बाद की गई थी, जब सूचना बोर्ड हट चुके थे। ऐसी स्थिति में कार्यपालक अभियंता (जाँच दल) द्वारा स्थलों की पहचान में चूक हुई है।

iii) मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वियन में योजनाओं की पूर्णता के बारे में लगाए गए आरोप नितांत निराधार हैं।

निर्णय :–

श्री राम के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में दिये गये तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इनका यह तर्क संभावनाओं पर आधारित है। इसलिए आरोप सं0–2 में उल्लेखित पथ निर्माण की योजनाओं का सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, चाईबासा के रूप में स्थल का निरीक्षण किये बिना ही मापी पुस्तिका में सत्यापित करने का आरोप उनके विरूद्ध प्रमाणित होता है।

अतः श्री राम के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत **उनके पेंशन से 5(पाँच) वर्ष तक के लिए 20(बीस) प्रतिशत की राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित करते हुए** उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(रौशन कुमार साह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– निग/सारा(पथ)–01–वि0का0–05–225/2016..1288(6)../ रांची, दिनांकः– 25/3/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय ई–गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।